फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

हरीप्रसाद वगैरह बनाम शंकरदास वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व पार्थना पत्र मुकदमा नं. 63 /2015

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
19.05.2015	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं ऑर्डर 29 रूल 1 व 2 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री एस.एस. कालवी ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में, सुविधा का संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम अजबपूरा के खसरा नं. 38/109 रकबा 17 बीघा, 45/113 रकबा 13 बीघा व ग्राम चुवाद के खसरा नं. 46/230 रकबा 5.11 बीघा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमानस्थिति आगामी आदेश तक यथावत रखे एवं विवादित भूमि को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 24.06.2015 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	

कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

24/6/15

10/9/15

10/9/15

10/11/15

10/11/15

15/11/16

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
16-5-18 NEF proceeds पूर्ण[illegible]	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अदालत लेवा केन्द्र रोड़ में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने नोट बेस पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं जरिये विड्रोल खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रोल खारीज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर उपरान्त दाखिल हो। [signature]

Scanned by CamScanner